

109

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, महाराजगंज ।

वाद सं०- 03/2008 अन्तर्गत धारा-143 उ०प्र०वि०अधिनियम  
वावत मोजा-जंगल दुलाई उर्फ धेहरी, तप्पा-कटहरा  
परगना-हथेली, तहसील-सदर, जनपद-महाराजगंज ।

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट बनाम श्रीमती नीरा श्रीवास्तव आदि ।



आदेश

अभय कुमार श्रीवास्तव मुख्य ट्रस्टी, शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट, मकान न०-132, जी. एच. अशोक नगर, बशारतपुर, जनपद-गोरखपुर द्वारा दिनांक-20-12-2007 को वाद प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा-143 उ०प्र०वि०अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी न०-1561 मि रकबा 3-035 हे० स्थित ग्राम जंगल दुलाई उर्फ धेहरी तप्पा-कटहरा, परगना-हथेली, जरिये पंजीकृत हिब्बानामा दिनांक-16-11-2007 को तहरीर कराया गया है। बाद तहरीर राजस्व अभिलेखा में क्रेता का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें शिक्षा संस्थान हेतु भवन निर्माण किया जाना है। प्रश्नगत आराजी का कृषि सम में प्रयोग समाप्त हो गया है अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेखा में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जॉच हेतु भोजी गयी। बाद जॉच तहसीलदार, सदर की जॉच आख्या दिनांक-10-10-2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ है।

भूमि वादी के बिद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य व तहसीलदार, सदर की आख्या का सम्यक् सम से अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम जंगल दुलाई उर्फ धेहरी की छातोनी सन् 1410 से 1415 फ० के छाता सं०-923 गाटा सं०-1561 रकबा 4-561 हे० रा. अन्द्र पुत्र शिवसहाय के नाम रहा है जिसमें से वादी का नाम बतौर हिब्बानामा तहसीलदार, सदर के आदेश दिनांक-16-11-07 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखा में 3-035 हे० पर नाम दर्ज है। छासरा सन् 1415 फ० स्थित ग्राम जंगल दुलाई उर्फ धेहरी में प्रश्नगत आराजी आबादी के सम में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है कि प्रश्नगत आराजी में पक्का मकान तथा सदन के सम में उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। तहसीलदार, सदर द्वारा प्रश्नगत आराजी को धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

समस्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मकान तथा मकान के सदन के सम में उपयोग में लाया जा रहा है। अतः तहसीलदार, सदर की संस्तुति के क्रम में आराजी सं०-1561 मि रकबा 3-035 हे० गैर कृषि प्रयोज्य घोषित किया जाता है। तदनुसार बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।

राजस्व अभिलेखागार  
कलेक्टर - महाराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता.....  
तलजा कर्ता.....

नाम प्राची आ. अरुण सिंह जी. अरुण  
कम्बर सवाल... 29-32  
करीब सवाल... 29-24  
जाबाद फीस... 13-  
शासक जदद... 30/10/08  
करीब नोटिस... 29-2-76  
करीब हुशालगी... 29-2-76  
हस्ताक्षर.....

सत्य प्रतिलिपि  
18/10/08  
अभिलेखापाल  
राजस्व अभिलेखागार  
महाराजगंज

18/10/08  
अमर पाल सिंह  
उप जिलाधिकारी, सदर  
महाराजगंज ।



वाद सं- 04/2008

अन्तर्गत धारा-143 उ०प्र०ज०वि०अधिनियम  
वावत मौजा-जंगज दुहाई उर्फ धेहरी, तप्पा-कटहरा  
परगना-हवेली, तहसील-सदर, जनपद-महराजगंज ।

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट बनाम राजेन्द्रा ।

आदेश

शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी अशय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री केशव चन्द्र श्रीवास्तव, मकान न०-132 जी. एच अशोक नगर धरमपुर पुर शहर गोरखपुर द्वारा दिनांक- 15. 1. 2008 को वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-143 उ०प्र०ज०वि०अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत करते हुए याचना किया गया है कि आराजी न०-1561 मि रकबा 0. 713 हे० व आराजी न०-1562 रकबा 0. 405 हे० स्थित ग्राम जंगल दुहाई उर्फ धेहरी तप्पा-कटहरा, परगना-हवेली जरिये पंजीकृत बनामा दि०-10. 12. 07 को तहरीर कराया गया है बाद तहरीर राजस्व अभिलेखा में क्रेता/वादी का नाम दर्ज हो चुका है जिसमें इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजियात का कृषि सभ में प्रयोग समाप्त हो चुका है। अतः प्रश्नगत आराजी को अभिलेखा में आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तहसीलदार, सदर को जॉच हेतु भोजी गयी। बाद जॉच तहसीलदार, सदर की जॉच आख्या दिनांक-18. 1. 2008 न्यायालय पर प्रस्तुत हुआ। मैंने वादी के बिद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व तहसीलदार की आख्या का सम्यक् सभ से अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आराजी न०-1561 मि रकबा 0. 713 हे० व आराजी न०-1562/4032 रकबा 0. 405 हे० स्थित ग्राम जंगल दुहाई उर्फ धेहरी शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अंकित अभिलेखा है। खासरा सन् 141540 में प्रश्नगत आराजी आबादी के सभ में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या है कि प्रश्नगत आराजी में कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि शान्ति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अंकित अभिलेखा है तहसीलदार, सदर द्वारा अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड में वादी द्वारा इंजिनियरिंग शिक्षण संस्थान चलाने हेतु भवन का निर्माण किया जा रहा है तत्क्रम में तहसीलदार, सदर द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति भी की गयी है। ऐसी स्थिति में आराजी न०-1561 मि रकबा 0. 713 हे० व आराजी न०-1562/4032 रकबा 0. 405 हे० स्थित ग्राम जंगल दुहाई उर्फ धेहरी शेर कृषि प्रयोज्य घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागारित हो।



राजस्व अभिलेखागार  
कलेक्ट्रेट - महराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता .....  
तलना कर्ता .....  
गम प्राणी श्री. 2833  
फरवर सवाल 29-2-16  
राजीव सवाल 13-  
राजीव सवाल 300  
राजीव नोटिस 29-2-16  
राजीव इवाजगी 29-2-16  
रजिस्ट्रार

राजस्व अभिलेखागार  
कलेक्ट्रेट - महराजगंज

अमरपाल सिंह  
उप जिलाधिकारी, सदर  
महराजगंज ।